

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

—:: आदेश ::—

संचिका संख्या—पि0व0/3/क्षे0स्था0-20-08/2026—

पटना-15, दिनांक—

वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्य-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में श्री रंजीत कुमार, अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, सुपौल को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एकीकृत 71वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी एवं परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आदेश निर्गत होने की अगली तिथि से दिनांक-30.04.2026 तक उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

2—जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, सुपौल को निदेशित किया जाता है कि उक्त पदाधिकारी के उपार्जित अवकाश अवधि तक के लिए आंतरिक व्यवस्था के तहत प्रभार किसी अन्य पदाधिकारी को सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

3—प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(सुषमा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—पि0व0/3/क्षे0स्था0-20-08/2026—

पटना-15, दिनांक—

प्रतिलिपि:—प्रमंडलीय उप-निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, सुपौल/श्री रंजीत कुमार, अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—पि0व0/3/क्षे0स्था0-20-08/2026—

पटना-15, दिनांक—

प्रतिलिपि:—अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।